न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/75/भू.राज.अधि./01/2022/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
भवानीसिंह पुत्र करणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चिमनपुरा (कापराउ) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		1. उपखण्ड अधिकारी चौहटन 2. तहसीलदार चौहटन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी चौहटन ने खसरा नम्बर 531/298 रकबा 10 बीघा भूमि में से 05 बीघा भूमि आवंटित करने का संशोधित आदेश संख्या 63 दिनांक 02.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री राजेन्द्र शर्मा अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–10.11.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कापराउ तहसील चौहटन के खसरा नम्बर 531/298 रकबा 10 बीघा भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में अपीलाधीन आराजी को आवंटित करने हेतु अपीलांटस द्वारा आवेदन पेश किया गया जो बाद जांच कर अपीलांटस को उपरोक्त भूमि का आवंटन आदेश क्रमांक 588 दिनांक 03.01.2022 को पारित किया गया। जिस पर नियमानुसार हल्का पटवारी, आर आई व तहसीलदार द्वारा अपीलांटस के नाम भूमि राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की। तत्पश्चात उतरदातागण संख्या 01 का आदेश क्रमांक 63 दिनांक 02.05.2022 को जारी कर अपीलांट का कब्जा काश्त अनुसार रकबा को कम करके 05 बीघा भूमि आवंटन करने का संशोधित नियमन आदेश जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटस ग्रामीण क्षेत्र का भूमिहीन कृषक है। सन 2013 से मौजा कापराउ के खसरा नम्बर 531/298 रकबा 10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। वर्षात होने पर उक्त भूमि पर काश्त कर अपना जीवन निर्वहन करता आ रहा है इसलिए खसरा संख्या 531/298 के सम्पूर्ण रकबा 10 बीघा भूमि पर अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का कब्जा हल्का पटवारी द्वारा पी–14 में अतिक्रमण की गई भूमि के संबंध में की गई रिपोर्ट से भी भलीभांति साबित है। अपीलांटस द्वारा नियमानुसार अपने पुराने कब्जे काश्त अनुसार आवेदन प्रशासन गांवों के संघ अभियान कैम्प कापराउ में पेश किया। जिस पर बाद जांच कर अपीलांट को अपीलाधीन आराजी पर नियमानुसार अतिक्रमण मानकर सही आवंटन आदेश दिनांक 03.01.2022 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजनैतिक दबाव में अपीलाधीन संशोधित आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस को अपीलाधीन आराजी अतिक्रमित भूमि को नियमन से आवंटित की गई। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का नियमित रूप से 05 बीघा भूमि पर अतिक्रमण मौका रिपोर्ट में आया है। नियमन की शर्त है कि 12 वर्ष तक लगातार अतिक्रमी होना आवश्यक है हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस का 05 बीघा भूमि से अधिक भूमि पर 12 वर्ष तक लगातार कब्जा रहा हो ऐसा कोई दस्तावेजात अपीलांअस द्वारा पत्रावली पर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा लिपिकिय त्रुटि से 10 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांटस को किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित आदेश पारित करते हुए शुद्ध किया गया जो विधि सम्मत है। अपीलांटस का 05 बीघा भूमि अपने पक्ष में आवंटन करवाने से अधिक कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित किया गया। अतः अपील सारहीन होने से मय हजा खर्चा के खारिज की जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। नियमन पत्रावली में तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश भूमि नियम बाबत चैक मीमो में स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी भवानीसिंह को ग्राम कापराऊ के खसरा नम्बर 531/298 रकबा 10 बीघा में से 05 बीधा भूमि का नियमन किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा पेश आवेदन के समर्थन में अपीलांटस स्वयं ने रू 50 के नोन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ज्यूडिशल स्टाम्प पर अपीलाधीन आराजी में 05 बीघा भूमि पर लगातार कब्जा काश्त होना स्वीकार किया गया। स्वयं की स्वीकारोक्ति से बढकर बड़ी कोई साक्ष्य नहीं हो सकती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता से यह साबित है कि अपीलांटस का अपीलाधीन आराजी पर 05 बीधा भूमि से अधिक लगातार कभी कोई अतिक्रमण नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी द्वारा अधिवासित राजकीय भूमि का नियम आदेश संख्या 588 दिनांक 03.01.2022 को कुल 36 व्यक्तियों को नियमन आदेश पारित किया गया जिसमें लिपिकिय त्रुटि से रकबा गलत दर्ज होकर अपीलांटस को 10 बीघा भूमि का नियमन/आवंटन किया गया जो विधि सम्मत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित आदेश संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौहटन ने खसरा नम्बर 531/298 रकबा 10 बीघा भूमि में से 05 बीघा भूमि आवंटित करने का संशोधित आदेश संख्या 63 दिनांक 02.05.2022 को पारित किया गया जिसे यथावत रखा जाता है।

(प्रतिभा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर